



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

व्यक्तिगत ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र

1. कर्मचारी का नाम व पद
2. विभाग का नाम
3. नियुक्ति तिथि
4. जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति तिथि
5. स्थायी/अस्थायी
6. प्राप्त वेतन का पूर्ण विवरण
- कूल वेतन रु.
- कूल कटौतियाँ रु.
- शुद्ध वेतन रु.
7. व्यक्तिगत ऋण लेने हेतु आवेदित राशि एवं प्रयोजन
8. पूर्व में लिए व्यक्तिगत अग्रिम की राशि एवं तिथि अंतिम किश्त कटौती माह का विवरण.....
9. ऋण वसूली हेतु प्रस्तावित किश्तों की संख्या.....
10. मासिक वसूली किश्त की दर रु.

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक : / /

- टीप : 1. यदि अस्थायी हैं तो निर्धारित प्रतिभूति पत्र विभागीय अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कराकर संलग्न किया जावे।
2. व्यक्तिगत ऋण शुद्ध वेतन भुगतान का 10 गुना अधिकतम रु. 50,000/- जो भी कम हो की सीमा में देय होगा।
3. पूर्व माह में आहरित वेतन भुगतान पत्रक की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. स्वीकृति के पश्चात रु. 50/- के स्टाम्प पेपर या रु. 50/- का एडहेसिव टिकिट पर अनुबंध कराना अनिवार्य है।